[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ[

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.34/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2019

सा.का.नि.......(अ).-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 322(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 21/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में के पैरा 2 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08** में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 31 जुलाई, 2019 होगी।"।

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना संख्यांक 21/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 322(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।